

वाणिज्य-कर विभाग
जी०एस०टी० पंजीयन

!! सभी वैध पैन धारक व्यवसायीगण कृप्या ध्यान दें !!

- विभागीय वेबसाईट पर login करने के पश्चात दिखने वाले pop-up पर जी०एस०टी० के अधीन आपका औपबंधिक आई०डी० तथा पासवर्ड उपलब्ध है। इसके माध्यम से अविलम्ब अपना enrolment कर लें।
- ध्यान रहे कि enrolment की अंतिम तिथि 15.12.2016 है एवं किसी भी परिस्थिति में यह अवधि विस्तारित नहीं की जा सकती है।
- उक्त तिथि तक enrolment की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर मौजूदा व्यवसायिक फर्म के माध्यम से जी०एस०टी० के अधीन व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा तथा दिनांक 31.03.2017 को आपके पास मौजूद माल के अंतिम भंडार शेष में शामिल कर की राशि का input tax credit जी०एस०टी० में उपलब्ध नहीं होगा।
- जी०एस०टी० के अधीन अपने आई०डी० तथा पासवर्ड की जिम्मेवारी व्यवसायी पर है, अतः इसकी सुरक्षा की व्यवस्था हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएँ। इसे किसी के साथ साझा नहीं करें
- जी०एस०टी० के अधीन enrolment पूर्णतया निःशुल्क है एवं इसके लिए कोई राशि देय नहीं है।
- अतः अविलम्ब जी०एस०टी० enrolment की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। इस हेतु सभी अंचल कार्यालयों में आपकी सहायता के लिए आवश्यक व्यवस्था की गयी है एवं इस क्रम में यदि कोई कठिनाई हो तो तुरंत अपने Assessing Officer अथवा अंचल प्रभारी से सम्पर्क स्थापित करें। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु विभागीय Helpdesk के 0612-2233512 से 0612-2233516 तक के दूरभाष संख्या पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

(सुजाता चतुर्वेदी)

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।